वैज्ञानिक पर मानहानि का मुकदमा खारिज

ताईवान के एक इंजीनियर पर एक पेट्रोकेमिकल कंपनी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कंपनी का कहना था कि इंजीनियर बेन-जाई त्सुआंग ने उसके कारखाने के निकट कैंसर के प्रकोप में वृद्धि के प्रमाण प्रस्तुत करके उसे बदनाम किया है। हाल ही में ताईवान की एक अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया।

मामला यह था कि ताईवान के राष्ट्रीय चुंग ह्सिंग विश्वविद्यालय में कार्यरत बेन-जाई त्सुआंग ने यह दर्शाया था कि फॉरमोसा प्लास्टिक ग्रुप (एफपीजी) के माइलियाओ स्थित कारखाने के आसपास के क्षेत्र में कैंसर का खतरा बढ़ा है। उनके ये निष्कर्ष 2010 में एक वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने अपने निष्कर्ष एक पत्रकार वार्ता में भी घोषित किए थे। अब त्सुआंग ने अपने परिणामों को एक शोध पत्र के रूप में *एटमॉस्फरिक एन्वायर्मेंट* में प्रकाशन हेतु भेजा है।

एफपीजी ने मांग की थी कि त्सुआंग 13 लाख डॉलर का हर्ज़ाना दे और चार प्रमुख अखबारों में क्षमा याचना प्रकाशित करवाए। दुनिया भर की 1000 से ज़्यादा अकादमियों ने एक खुला पत्र लिखकर त्सुआंग का समर्थन किया था; इनमें नोबेल विजेता ली युन तेश भी शामिल थे।

ताइपे ज़िला अदालत के न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा है कि वे एफपीजी का मुकदमा खारिज कर रहे हैं क्योंकि त्सुआंग के वक्तव्य "एक सार्वजनिक मुद्दे पर उचित टिप्पणियां हैं।"

फैसले के बाद त्सुआंग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यह फैसला ताईवान में अकादमिक स्वतंत्रता के मामले में एक मील का पत्थर है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस मुकदमे की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस मुकदमे के कई परिणाम काफी घातक रहे हैं। जैसे हालत यह है कि उनके छात्र प्रदूषण की बात करते हुए वास्तविक दोषी कंपनियों का नाम तक नहीं ले सकते हालांकि इन कंपनियों को सरकारी प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा चुका है।

अदालत ने एफपीजी को अपील करने के लिए 20 दिन का समय दिया है। मगर त्सुआंग के वकील ने कहा है कि "उम्मीद है कि अब एफपीजी प्रोफेसर को परेशान करना बंद करेगा। कंपनी के पास इतने संसाधन हैं कि वह मुकदमेबाज़ी को छोड़कर शोध के ज़रिए इन निष्कर्षों का खंडन करने में सक्षम है।" ***(स्रोत फीचर्स)***